



विविध वाद संख्या-15/2021-22

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख के साथ
25.8.2021	<p>आवेदक चैन होरो, पिता-प्रभुधन मुण्डा, ग्राम-बड़ाजामदा, पो०-बड़ाजामदा थाना-गुवा, जिला-प० सिंहभूम ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 82, प्लॉट सं 1813, रकवा 1.58 एकड़ भूमि का जिसका लगान रसीद वर्ष 2020-21 का ऑनलाईन लगान भुगतान किया गया है परन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज नहीं है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p>	
5.9.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 82, प्लॉट सं 1813, रकवा 1.58 एकड़ भूमि गोपी गौड़, पिता-पन्थु गौड़ के नाम पर दर्ज है। दलिल संख्या-5443, नामांतरण वाद संख्या-7/75-76 के द्वारा मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 82, प्लॉट सं 1813, रकवा 1.58 एकड़ भूमि में श्री प्रभुधन मुण्डा, पिता-मासी दास मुण्डा के नाम पर दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न हैं।</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि में मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 82, प्लॉट सं 1813, रकवा 1.58 एकड़ भूमि में श्री प्रभुधन मुण्डा, पिता-मासी दास मुण्डा के नाम पर ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज करें। संबंधित मामला की e-cowप ई माध्यम से त्रिठफादित करें। ऑनलाईन पंजी II के माध्यम से 2 अक्टूबर 2021 में दर्ज किया गया।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">  </p>	